# न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 84/2019 (RCMS : 2019/00137) अनवान 1. चरणदीप सिंह पुत्र श्री जसविन्द्र सिंह 2. जसविन्द्र सिंह पुत्र हरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी ख्यालीवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर 3. मखन सिंह पुत्र हरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी मोड़ा तहसील व जिला श्रीमुक्तसर साहिब (पंजाब) बनाम 1. गुरचरण सिंह 2. गुरदीप सिंह पुत्रगण सरवन सिंह 3. बलकरण सिंह 4. जसमंत सिह पुत्रगण मलकीत सिंह 5. परमजीत कौर पत्नी मलकीत सिह 6. जगवन्त कौर उर्फ जसवन्त कौर पत्नी जसरूप सिंह पुत्र सरवन सिंह जाति जटसिख निवासीगण ख्यालीवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर 7. सरकार जरिये तहसीलदार, रायसिंहनगर 8. उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.09.2019

**प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है।** मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के न्यायालय में लंबित प्रकरण सं. 69/2019 अनवानी चरणदीप सिह आदि बनाम गुरचरण सिंह आदि अन्तर्गत धारा 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। चूंकि अब तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

**उपरोक्त विवेचन के आधार** पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 23.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर